प्रेस नोट दिनांक 27.11.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन

- **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

- **मा0 न्यायाधीश श्री पारितोष श्रेष्ठ (एडीजे/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास की सजा व 3,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

जनपद चन्दौली थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 17.09.2023 को धारा 498ए,506,304 भादवि व ¾ डीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राजेश उर्फ ओमी पुत्र स्व रामलाल निवासी बिसौरी थाना चन्दौली जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-253/2023 धारा 498ए,506,304 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर(IPS) के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना चंदौली के पैरोकार हे0का0 अजय कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 27.11.2025 को मा0 न्यायाधीश श्री पारितोष श्रेष्ठ (एडीजे/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.राजेश पुत्र स्व रामलाल निवासी बिसौरी थाना चन्दौली जनपद चन्दौली को 02 वर्ष का कारावास की सजा व 3,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।